

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/छाप्रोप्र/ए/आधार-नामांकन/2016-17

दिनांक : 15/3/17

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी  
(माध्यमिक- प्रथम/द्वितीय)

विषय : 05 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के आधार नामांकन एवं 05 एवं 15 वर्ष की आयु के Biometric Updation आधार के संबंध में।

प्रसंग : राज्य सरकार का पत्रांक प19(3)शिक्षा-6/2017 दिनांक 14.03.2017

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र की छाया प्रति संलग्न कर लेख है कि राज्य सरकार ने आपके अधिनस्थ विद्यालयों के छात्रों की 05 से 18 वर्ष की आयु के समस्त विद्यार्थियों को आधार नामांकन करवाने हेतु निर्देशित किया है। निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही कर सूचना तत्काल इस कार्यालय को प्रेषित करें:-

1. 05 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के शत प्रतिशत विद्यार्थियों का आधार नामांकन दिनांक 31.03.2017 तक किया जाना सुनिश्चित करावे इस हेतु समस्त राजकीय एवं निजी विद्यालयों में आवश्यकतानुसार केम्प लगाए जा सकते हैं।
2. जिन विद्यार्थियों को पूर्व में आधार नम्बर प्राप्त हो चुका है उनका 05 एवं 15 वर्ष की आयु में Biometric Updation भी करवाया जाना है। इस हेतु प्रत्येक राजकीय एवं निजी विद्यालय द्वारा वर्ष में कम से कम 02 बार केम्प लगाए जाने है।

अतः आपके अधिनस्थ समस्त राजकीय एवं निजी विद्यालयों में उक्तानुसार शतप्रतिशत विद्यार्थियों के आधार नम्बर Generate करवाया जाना है तथा 05 एवं 15 वर्ष की आयु में Biometric Updation कार्यवाही तत्काल करवाया जाना सुनिश्चित करें। विलम्ब होने की स्थिति में आप स्वयं जिम्मदार होंगे।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान दी जावे।

संलग्न उपरोक्तानुसार



प्रभारी अधिकारी

छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन प्रकोष्ठ

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

प्रतिलिपि

1. शासन सचिव शिक्षा(ग्रुप-6), विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. समस्त उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
3. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।



प्रभारी अधिकारी

छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन प्रकोष्ठ

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

राजस्थान सरकार  
शिक्षा (ग्रुप-6) विभाग

डा. जी. प्र.  
14.3.2017  
PSIEmail 1196 112  
14103112

क्रमांक:-पं.19 (3)शिक्षा-6/2017

जयपुर, दिनांक : 14.03.2017

निदेशक,  
माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा,  
राजस्थान, बीकानेर।  
निदेशक, संस्कृत शिक्षा,

विषय :- 5 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के आधार नामांकन एवं 5 एवं 15 वर्ष की आयु में आधार biometric updation के संबंध में।

सन्दर्भ :- Deputy Director General, सामान्य, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना व तकनीकी मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा शासन सचिव, स्कूल शिक्षा को प्रेषित पत्र क्रमांक A-1109/04/2010-UIDAI(RO-Delhi) दिनांक 27.02.2017 के क्रम में।

महोदय,

जैसा कि आपको विदित है कि 5 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के समस्त विद्यार्थियों का आधार नामांकन करवाया जाना है। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा समस्त विद्यार्थियों का आधार नामांकन करवाकर आधार नम्बर जनरेट करवाने हेतु दिनांक 04.10.2016, 04.11.2016, 07.11.2016 एवं 26.12.2016 को पूर्व में निर्देश जारी किये गये हैं।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र की प्रति प्रेषित कर निर्देशानुसार निवेदन है कि कृपया निम्न कार्यवाही सुनिश्चित करावें :

1. 5 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के शत-प्रतिशत विद्यार्थियों का आधार नामांकन दिनांक 31 मार्च, 2017 तक किया जाना सुनिश्चित करावें। इस हेतु समस्त राजकीय एवं निजी विद्यालयों में आवश्यकतानुसार कैंम्प लगाए जा सकते हैं।
2. जिन विद्यार्थियों को पूर्व में आधार नम्बर प्राप्त हो चुका है, उनका 5 एवं 15 वर्ष की आयु में biometric updation भी करवाया जाना है। इस हेतु प्रत्येक राजकीय एवं निजी विद्यालय द्वारा वर्ष में कम से कम दो बार कैंम्प लगाए जाने हैं।

अतः राज्य के समस्त राजकीय एवं निजी विद्यालयों में उपरोक्तानुसार शत-प्रतिशत विद्यार्थियों के आधार नम्बर generate करवाया जाने तथा 5 एवं 15 वर्ष की आयु में biometric updation करवाया जाने हेतु कार्यवाही के लिए समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करावें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

भवदीया,

(आभा बेनीवाल)  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि :- निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर को उक्त क्रम में सूचनार्थ सादर प्रेषित है।

शासन उप सचिव